प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 28 नवम्बर, 2025

विषय:- जिला कारागार, जौनपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी बाल किशुन पुत्र श्री पन्नालाल, निवासी जनपद-जौनपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-19613/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-25.04.2025, दिनांक 08.05.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी बाल किशुन पुत्र श्री पन्नालाल, हमाम, दरवाजा पंजाबी कालोनी, थाना-कोतवाली, जनपद-जौनपुर का निवासी है। बन्दी द्वारा दहेज की मांग को लेकर दिनांक 13/14.05.1988 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गायत्री देवी उर्फ मुन्नी देवी के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-18/1989 में भा0द0वि0 की धारा-304बी के अन्तर्गत मा० न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-3, जौनपुर के दिनांक 20.03.1991 द्वारा 10 वर्ष के कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा0 उच्च इलाहाबाद के आदेश दिनांक 29.02.2024 द्वारा 10 वर्ष के कारावास को लघुकृत करते हुए 07 वर्ष के कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 15.01.2025 तक अपरिहार 01 वर्ष, 01 माह 08 दिन तथा सपरिहार 01 वर्ष 01 माह 29 दिन की सजा काटी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा कारित अपराध सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इंकार नहीं किये जाने, जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने एवं बन्दी की सामाजिक व आर्थिक दशा सामान्य की आख्या अंकित करते हुए बन्दी को मा० उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त 07 वर्ष के कारावास के सापेक्ष दिनांक 15.01.2025 तक अपरिहार 01 वर्ष, 01 माह, 08 दिन तथा सपरिहार 01 वर्ष, 01 माह, 29 दिन की भोगी गयी सजा, रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने एवं पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, जौनपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी बाल किशुन (बन्दी संख्या-73/2024) पुत्र श्री पन्नालाल, निवासी जनपद-जौनपुर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-1435/2025/1113(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, जौनपुर।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।